

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

कमांक 4092/MGNREGA/स्था./जिपं/2017-18

राजनांदगांव दिनांक 18/01/2018

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक/439 /पं.ग्रा.वि.वि/22/2017 रायपुर दिनांक 01.02.2017 के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवार की संविदा नियुक्ति जिला पंचायत, राजनांदगांव में निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है। इनके पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय रोजगार गारंटी योजना की आकस्मिक मद से किया जावेगा।


| कमांक | चयनित अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम | पत्र व्यवहार का पता | वर्ग | पदस्थापना स्थान |
|-------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सिद्धार्थ कुमार जैसवाल | श्री रूकुम लाल जैसवाल | श्री रामनगर शिव मंदिर के पास वार्ड क्र. 57 उरला रोड, दुर्ग छग. | अनारक्षित मुक्त | ज.पं. छुईखदान |

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया है।


नियम एवं शर्तें :-

1. संविदा पर 28080.00 रुपये एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
2. संविदा नियुक्ति अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए होगी। जो कि शासन के नवीनतम नियमों के अधीन होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति दोनो पक्षों की सहमति की दशा में पुनः 01 वर्ष वृद्धि हेतु विचारणीय होगा।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है।
4. संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाम आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
10. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत समस्त कार्यों का निरीक्षण एवं निष्पादन का सम्पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन किया जावेगा।
11. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क./एफ-9-1/2012/1-3, रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम - 2012 के अधीन होगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय छ.ग. शासन, रायपुर।
2. विकास आयुक्त, छ.ग., विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
3. आयुक्त, रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग।
5. कार्यपालन अभियंता, ग्रायासे राजनांदगांव को सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित जनपद पंचायत।
7. मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मेकाहारा, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं शारीरिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाने बाबत।
8. स्टेनो टु सीईओ जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ।
9. संबंधित उम्मीदवार। आप कृपया दिनांक 25/01/2018 तक अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मय समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अंकसूचियों तथा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ जिला पंचायत, राजनांदगांव में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकार,
जिला पंचायत राजनांदगांव